



प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 05 सितम्बर, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि में से प्री-फिजिबिलिटी कार्यों हेतु रु० 168.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्रांक-904/यूपीडा/8/147/919, दिनांक 31.05.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-07 के लेखा शीर्षक "5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य" हेतु प्राविधानित धनराशि रु० 650.00 करोड में से प्री-फिजिबिलिटी कार्यों हेतु **रु० 168.00 लाख (रूपये एक सौ अड़सठ लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- (1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते में रखा जायेगा।
- (2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
- (3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनों परान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-2-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान संख्या-07 के लेखा शीर्षक "5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य" निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-641/दस-18 दिनांक 29.08.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(सीताराम यादव)

संयुक्त सचिव।

संख्या -31/2018/2436(1)/77-3-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1
7. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)

संयुक्त सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।